न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

एल0आर0 निगरानी संख्या– 12/2011–12

श्रीमती राजो देवी
बनाम
श्री अमृत लाल

श्री अरूण सक्सेना, एडवोकेट – अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
श्री ए0के0 वर्मा, एडवोकेट – अधिवक्ता प्रतिपक्षी।

निर्णय

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, सदर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–17/2006–07 अमृत लाल बनाम श्रीमती राजो देवी (मूल अपील संख्या–32/2006–07 श्रीमती राजो देवी बनाम अमृत लाल) में पारित निर्णयादेश दिनांक 28–06–2012 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा मालसी के सम्बन्ध में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर निगरानीकर्ता श्रीमती राजो देवी ने नायब तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो वाद संख्या–826/03 राजो देवी बनाम गुद्ड पंजीकृत हुआ। नायब तहसीलदार द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 31–05–2003 से राजो देवी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व राजो देवी द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम योजित की गई जो वाद संख्या–32/05–06 राजो देवी बनाम अमृत लाल दर्ज हुई। सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं हुआ। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल न करने के फलस्वरूप सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा अपीलार्थिनी/वादी पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 30–04–2007 से विवादित भूमि पर अपीलार्थिनी श्रीमती राजो देवी का नाम अंकित कर प्रतिपक्षी अमृतलाल का नाम निरस्त करने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी अमृत लाल की ओर से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 21–05–2007 प्रस्तुत किया गया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी द्वारा निर्णयादेश दिनांक 28–06–2012 पारित किया गया। इस निर्णयादेश के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता द्वारा सहायक कलेक्टर के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 30–04–2007 से स्वीकार की गई। प्रतिपक्षी अमृत लाल द्वारा इस आदेश के विरूद्व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में आदेश–41 नियम–21 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 21–05–2007 प्रस्तुत किया गया जिसके धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निर्णीत करने से पहले सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निर्णीत कर दिया गया जो विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है। प्रतिपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 20–03–2007 अथवा 12–04–2007 के आदेश को वापस लिए जाने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। अवर न्यायालय द्वारा कालबाधिता के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। अवर न्यायालय द्वारा तामीली के बिन्दु पर गवाहों एवं तामील कुनिन्दा को तलब किए बगैर ही यह मान लिया गया कि प्रतिउत्तरदाता को नोटिस विधिवत तामील नहीं किया गया है। अवर न्यायालय ने पहले अपील में पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 एवं अपील को स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात उसी अपील के आदेश को निरस्त कर कानूनी त्रुटि की गई है। अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 30–04–2007 को निरस्त कर वास्तव में रिव्यू की शक्तियों का प्रयोग किया है, जबकि रिव्यू की शक्ति भू–राजस्व अधिनियम में राजस्व परिषद के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश 28–06–2012 निरस्त कर अपील में पारित मूल आदेश दिनांक 30–04–2007 बहाल किया जाये। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार न्यायालय में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नाम दर्ज किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। राजो देवी ने अपने नाम अपंजीकृत वसीयत दिनांक 30–01–84 को सम्पादित होनी दिखाई है। अमृतलाल के नाम पंजीकृत वसीयत

क्रमशः–2

उसके ताऊ गुदडु द्वारा सम्पादित की गई है। निगरानीकर्ता राजो देवी द्वारा नायब तहसीलदार के न्यायालय में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में अपील योजित की गई थी जिसमें प्रतिपक्षी अमृतलाल को नोटिस तामील दिखाया गया और एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए विवादित भूमि पर राजो देवी का नाम अंकित करने के आदेश पारित किए गए। इस वाद में प्रतिपक्षी अमृतलाल को नोटिस की तामीली विधिवत नहीं कराई गई। प्रतिपक्षी को दिखाई गई नोटिस की तामीली त्रुटिपूर्ण है। सहायक कलेक्टर द्वारा नोटिस की त्रुटिपूर्ण तामीली के बावजूद सहायक कलेक्टर, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 30–04–2007 से राजो देवी का नाम विवादित भूमि पर अंकित किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के पुनर्स्थापन हेतु प्रतिपक्षी द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें सहायक कलेक्टर द्वारा नोटिस की तामीली को सिविल प्रकिया संहिता में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार त्रुटिपूर्ण मानते हुए निर्णयादेश दिनांक 28–06–2012 पारित किया गया है। प्रश्नगत आदेश उचित आदेश है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

विवादित भूमि मौजा मालसी के सम्बन्ध में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर निगरानीकर्ता श्रीमती राजो देवी ने नायब तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नायब तहसीलदार द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 31–05–2003 से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व राजो देवी द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम योजित की गई। सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं हुआ। प्रतिवादी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल न करने के फलस्वरूप सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा अपीलार्थिनी/वादी पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनने के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 30–04–2007 से विवादित भूमि पर अपीलार्थिनी श्रीमती राजो देवी का नाम अंकित कर प्रतिपक्षी अमृतलाल का नाम निरस्त करने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षी अमृत लाल की ओर से सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 21–05–2007 प्रस्तुत किया गया। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी द्वारा निर्णयादेश दिनांक 28–06–2012 पारित किया गया। विचारण न्यायालय में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून की वाद पत्रावली संख्या– 32/2005–06 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम में उपलब्ध पेपर संख्या–5/1 जो वाद में प्रतिपक्षी अमृतलाल को प्रेषित नोटिस है का अवलोकन किया गया। नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने प्रतिपक्षी द्वारा समन पढ़कर लेने से मना किये जाने पर गवाही कराते हुए नोटिस चस्पा किया गया। प्रतिपक्षी को प्रेषित नोटिस को पर्याप्त तामीली मानते हुए सहायक कलेक्टर द्वारा वादी श्रीमती राजो देवी की ओर से प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया गया। सहायक कलेक्टर की वाद पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 29–03–2007 के अवलोकन से विदित है कि सहायक कलेक्टर द्वारा प्रतिवादी के हाजिर न होने पर जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु आगामी तिथि नियत की गई थी एवं उसके पश्चात दिनांक 05–04–2007 नियत की गई व दिनांक 12–04–07 को प्रतिवादी का जबाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा अपने निर्णयादेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश गुणदोष पर पारित आदेश नहीं है। सहायक कलेक्टर द्वारा गुणदोष एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त निर्णयादेश दिनांक 30–04–2007 से निगरानीकर्ता राजो देवी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 31–05–2003 निरस्त करते हुए विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

प्रतिपक्षी अमृतलाल द्वारा सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–04–2007 के विरूद्व दिनांक 21–05–2007 को आदेश–41 नियम–21 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया था। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–201 में स्पष्ट किया गया है कि आदेश की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रकरण को पुनर्जीवित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। प्रतिपक्षी द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–201 के अन्तर्गत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर सिविल प्रकिया संहिता की धारा–41 नियम–21 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अवर अपीलीय न्यायालय

कमशः–3

द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने के साथ–साथ ही पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 को भी एक ही निर्णयादेश से निरस्त कर दिया गया। सहायक कलेक्टर द्वारा धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–201 की उपधारा–56 में यह स्पष्ट किया गया है कि "विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण– जब नियत अवधि बीत जाने के बाद विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र के साथ पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के बाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे। विलम्ब माफ किये बिना पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निस्तारण करने की अधिकारिता न्यायालय को प्राप्त नहीं है।"

अवर न्यायालय को धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात ही वाद के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणदोष एवं साक्ष्यों के आधार पर करना चाहिए था, जिसका अनुश्रवण नहीं किया गया, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में धारा–41 नियम–21 सिविल प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अनुरोध भी किया गया था। इसके अतिरिक्त अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश के अन्तिम पैरा में अपील में पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 को स्वीकार एवं उसके पश्चात अपील में पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 को निरस्त किए जाने का भी उल्लेख किया गया जो त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार कर अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28–06–2012 निरस्त किए जाने एवं पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 बहाल किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 28–06–2012 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–04–2007 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।

आज दिनांक 30.4.2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष।,
राजस्व परिषद।